

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

क्र. सं. 73 तारीख दायर 10-11-2020 दिनांक निर्णय 02-12-2020

उनवान

पटवारी दामा धमरेड बनाम कृष्णलाल डाबू भीठाराम

आज पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

मुद्दा नैस्तायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207-च का नया कब्जा होना साबित होता है।

तिक्नी काबिल बेदखली है।

आदेश है कि-

नैस्तायल कृष्णलाल, डाबू भीठाराम पुत्र/ पत्नी.....

जाति भाम्नी निवासी धमरेड.....

जो आराजी खसरा नं. 826 रकबा 0.16 किस्म सिवायचक वाके ग्राम.

धमरेड से बेदखल किया जाता हैं, तथा शरह लगान 0.32 की.

50 गुणा में मु. 16/- रुपये कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/ कानुनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष. 2020-21
के पृष्ठ संख्या. 13 पर सि. च. 16/-
राशि कायम किये गये।

पिबकि
त. रा. लेखाकार

श
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)